

प्रेस नोट थाना गगहा दिनांक 17/11/2020

नाबालिक से दुष्कर्म का आरोपी/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर** के दिशानिर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन में थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह के नेतृत्व में उ०नि० कुवंर गौरव सिंह मय पुलिस टीम के देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित/वारण्टी क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास आकर मिला और बताया कि जो आपके थाने पर मु०अ०सं० 743/2020 धारा 376एबी भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट मुकदमा पंजीकृत है, उससे सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बड़गो मोड़ पर खड़ा है वाहन का इन्तजार कर रहा है यदि जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना से हमराहीगण को अवगत कराते हुये मुखबिर को साथ लेकर बड़गो मोड़ पंहुचा की मोड़ पर खड़े एक व्यक्ति के तरफ इशारा करते हुये मुखबिर बताया कि साहब वही व्यक्ति है और मौके से हटबढ़ गया। पुलिस टीम ज्यो ही उस व्यक्ति के पास पंहुचे कि अचानक पुलिस देख सकपका गया तथा भागने का प्रयास किया कि हमराही कर्मचारीगण के मदद से घेरघार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से जामा तलाशी लेते हुये नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सिंटू राव उर्फ सिंटू राठौर पुत्र रामअवध राव निवासी रियाँव थाना गगहा जनपद गोरखपुर बताया जो मुकदमा उपरोक्त का नामजद/वांछित अभियुक्त है। सिंटू राव उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय करीब 05.10 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 16/11/2020 को गांव के व्यक्ति द्वारा नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें पीड़िता की मां की तहरीर पर मु०अ०सं० 743/2020 धारा 376एबी भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट विरूद्ध सिंटू राव उर्फ सिंटू राठौर पुत्र रामअवध राव निवासी रियाँव थाना गगहा जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु टीम लगायी गयी थी, जिसे आज गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

(1) सिंटू राव उर्फ सिंटू राठौर पुत्र रामअवध राव निवासी रियाँव थाना गगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय

बड़गो मोड़ दिनांक 17/11/2020 समय 05.10 बजे

अभियोग का विवरण जिसमें गिरफ्तारी की गयी

मु०अ०सं० 743/2020 धारा 376एबी भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण –

- (1) उ०नि० कुवंर गौरव सिंह
- (2) हे०का० बैजनाथ यादव
- (3) हे०का० राजेन्द्र यादव